1

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–मा0शि0क0 / संविदा–ए0एन0एम0 / दिशा–निर्देश / 2014–15 / 9891-15 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु उपकेन्द्रों पर संविदा ए0एन0एम0 के पदों की स्वीकृति हेतु दिशा–निर्देश

महोदय,

प्रदेश में स्थापित सभी उपकेन्द्रों पर न्यूनतम एक ए0एन0एम0 की उपस्थिति अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2013–14 में उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 के संविदा पदों की स्वीकृति दी गयी थी। यह संविदा पद नियमित ए0एन0एम0 के पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष एवं एल–1 उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 के रूप में स्वीकृत किये गये थे।

वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर पर प्रदेश में ए0एन0एम0 के 3330 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियाँ किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 4783 संविदागत ए0एन0एम0 जनपदों में कार्यरत हैं जिनमें से अधिकांश ने नियमित नियुक्ति के लिये आवेदन किया है।उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में ए0एन0एम0 के 5762 पद रिक्त थे जिनकी संख्या भर्ती की प्रक्रियारत पदों से काफी अधिक है।

प्रदेश में नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जनपदों में नियमित पदों की रिक्तियों एवं संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 की उपलब्धता की स्थिति पूर्णतया भिन्न हो जायेगी। अतः नियमित नियुक्तियों के पश्चात जनपदों पर नियमित पदों की रिक्तियों व संविदा ए0एन0एम0 की उपलब्धता का आंकलन कर पुनः नये सिरे से संविदा पदों का आबंटन किया जायेगा।

अतः जनपदों में उपकेन्द्रों पर पूर्व से तैनात 4783 संविदा गत ए0एन0एम0 के पदों पर ही तैनाती / पुनर्अनुबन्ध की स्वीकृति संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक–1) के अनुसार प्रदान की जा रही है एवं 08 माह के मानदेय हेतु भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित दर रू0–11,000.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जनपदों में पूर्व से कार्यरत 4783 ए0एन0एम0, जिनको पूर्व में यथावत कार्य किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं, का माह सितम्बर 2014 तक का मानदेय (06 माह का) रू0–10,000.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से पूर्व में अवमुक्त किया जा चुका है जिसे इसी धनराशि में समायोजित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय प्रसव इकाईयों (महिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय) पर नियमित टीकाकरण एवं ए0एन0सी0 केयर आदि में सहयोग एवं ए0एन0सी0 रिकार्ड कीपिंग हेतु– 2 पद प्रति इकाई की दर से कुल 166 संविदा ए0एन0एम0 के नवीन पद भी संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार स्वीकृत किये जा रहे हैं। जिनके वर्ष 2014–15 के मानदेय के लिये भारत सरकार की स्वीकृतियों के अनुरूप रू0–11000.00 प्रति माह की दर से 04 माह हेतु रू0–73.04 लाख भी संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक–1) के अनुरूप आबंटित किये जा रहे हैं।

- पूर्व में कार्यरत 4783 संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती नियमित नियुक्तियाँ होने तक रिक्त उपकेन्द्रों पर अथवा एल–1 प्रसव इकाईयों पर ही की जायेगी।
- इनकी तैनाती कुशल प्रसव पूर्व सेवायें प्रदान करने, नियमित टीकाकरण, प्रसव सेवायें व जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान, सीवियर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिला की लाईन लिस्टिंग एवं फालोअप सब सेन्टर प्रबन्धन आदि सेवायें प्रदान करने के लिये की गयी है।

- संविदा ए0एन0एम0 नियमित ए0एन0एम0 की भाँति सभी कार्य करेंगी एवं एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0 में सभी आंकड़े अंकित करवायेंगी जिसके आधार पर ही उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- **संलग्न तालिका में जनपदवार स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती किसी भी स्थिति में नहीं की जाय। इसमें पूर्व के सभी स्वीकृत पद समाहित हैं।**

संविदा ए0एन0एम0 का कार्य मूल्यांकन

- संविदा ए0एन0एम0 के माध्यम से जनपद के स्वास्थ्य संकेतकों व कार्यक्रमों में प्रगति लाने के लिये आवश्यक है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा ए0एन0एम0 के वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 ए** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल ए0एन0एम0 को एल–1 इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। प्रारूप 2–ए इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
- प्रति माह संविदा ए0एन0एम के कार्यों का मूल्यांकन कर संविदा कर्मी को मूल्यांकन परिणाम से पत्र द्वारा अवश्य अवगत कराया जाय।
- सभी नवीन भर्तियों के लिये पूर्व में दिये दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें, योग्य अभ्यर्थियों का जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुमोदित समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाये।
- प्रपत्र में अंकित सभी उपलब्धियों को संविदा ए0एन0एम0 के क्षेत्र के कार्य भार के सापेक्ष आंका जाय। उपलब्धियों के आंकलन के लिये एच0एम0आई0एस0 व एम0सी0टी0एस0 पर अंकित सूचनाओं को ही आधार माना जाय।
- किसी भी त्रैमास में इस प्रपत्र पर मूल्यांकन परिणाम लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत से कम पाये जाने पर संविदा कर्मी को चेतावनी जारी की जाय जिसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को भी दी जाय। जिससे सभी संविदा कर्मियों को कार्य में सुधार के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- यदि किसी कर्मी का कार्य मूल्यांकन सतत रूप से 2 त्रैमास तक खराब पाया जाय तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर विकल्प ढूंढने की कार्यवाही जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आरम्भ की जाये।
- सभी दस्तावेजों का सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

वित्तीय स्वीकृति–

वर्तमान में जनपदों से प्राप्त संविदा ए0एन0एम0 के भरे हुये पदों की 31 मार्च 2013 तक की सूचना के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिये कुल 4,783 संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती/पुनर्अनुबन्ध की एवं 166 नवीन संविदा पदों की स्वीकृति संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदान की जा रही है। 31 मार्च 2014 को जनपदों में कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिये कुल 4,783 पूर्व से कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की सेवाओं के विस्तारीकरण की अनुमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है एवं रू0–10,000.00 प्रति ए0एन0एम0 की दर से 06 माह के मानदेय हेतु आवश्यक धनराशि भी एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

- ✓ भारत सरकार द्वारा संविदा ए0एन0एम0 के मानदेय की दर बढ़ाकर रू0–11000.00 प्रति माह कर दी गयी है।
- ✓ पूर्व से कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 के 12 माह के मानदेय के भुगतान हेतु रू0–11000.00 प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है इनको पुनरीक्षित मानदेय की दर के अनुसार कार्यावधि के लिये एरियर का भुगतान भी किया जायेगा।
- ✓ नवीन तैनात 166 संविदा ए0एन0एम0 के लिये 04 माह के मानदेय रू0–11000.00 प्रति माह की दर से स्वीकृत किया जा रहा है जिसका भुगतान कार्यावधि के अनुसार किया जायेगा।
- ✓ मानदेय का भुगतान कार्यावधि के लिये ही किया जायेगा।

-3/-

✓ आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।

✓ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवश्य ही उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर अद्यतन सूचना एन0एच0एम0, उ0प्र0 को तृतीय त्रैमास 2014–15 की के0पी0आई0–2 (प्रसव इकाईयों की सूचना के भारत सरकार के फारमेट) पर तथा परिवार कल्याण महानिदेशालय को अवश्य ही उपलब्ध करा दें।

✓ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सालय प्रभारी अपने अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्यों का प्रत्येक माह प्रारूप–2 ए पर कार्य मूल्यांकन करें एवं मूल्यांकन के आधार पर सभी कर्मियों को सूचित करें।

✓ समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाय।

✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

24/12/14

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांक–मा0शि0क0 / संविदा–ए0एन0एम0 / दिशा–निर्देश / 2014–15 / 9966-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक,जिला महिला चिकित्सालय / जिला संयुक्तचिकित्सालय,उ0प्र0।
8 महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य / नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
11 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक
मातृ शिशु कल्याण

Annexure 1

District Allocation & Approval of contractual ANMs for year 2014-15

S/N	District	No. of district level facilities (DWH/DCH)	No. Of new posts of ANMs approved @ 2/facility	Budget @ Rs 11000.00pm for 4 months	contractual ANMs working since 1/04/14	Budget @ Rs 11000.00pm for 8 months	Total Budget in Rs lacs
		A.8.1.1.1.a			A.8.1.1.1.f		
1	Agra	1	2	0.88	155	136.40	137.28
2	Aligarh	2	4	1.76	21	18.48	20.24
3	Allahabad	1	2	0.88	304	267.52	268.40
4	Ambedkar Nagar	1	2	0.88	41	36.08	36.96
5	Amethi	0	0	0	76	66.88	66.88
6	Amroha	1	2	0.88	61	53.68	54.56
7	Auriya	1	2	0.88	18	15.84	16.72
8	Azamgarh	1	2	0.88	9	7.92	8.80
9	Baghpat	1	2	0.88	84	73.92	74.80
10	Bahraich	1	2	0.88	86	75.68	76.56
11	Ballia	1	2	0.88	100	88.00	88.88
12	Balrampur	2	4	1.76	74	65.12	66.88
13	Banda	1	2	0.88	109	95.92	96.80
14	Barabanki	1	2	0.88	137	120.56	121.44
15	Bareilly	1	2	0.88	90	79.20	80.08
16	Basti	1	2	0.88	89	78.32	79.20
17	Bijnor	1	2	0.88	89	78.32	79.20
18	Budaun	1	2	0.88	11	9.68	10.56
19	Bulandshair	1	2	0.88	115	101.20	102.08
20	Chandauli	3	6	2.64	71	62.48	65.12
21	Chitrakoot	1	2	0.88	50	44.00	44.88
22	Deoria	1	2	0.88	50	44.00	44.88
23	Etah	1	2	0.88	44	38.72	39.60
24	Etawah	1	2	0.88	33	29.04	29.92
25	Faizabad	1	2	0.88	91	80.08	80.96
26	Farrukhabad	1	2	0.88	19	16.72	17.60
27	Fatehpur	1	2	0.88	48	42.24	43.12
28	Firozabad	2	4	1.76	53	46.64	48.40
29	GB Nagar	1	2	0.88	25	22.00	22.88
30	Ghaziabad	2	4	1.76	25	22.00	23.76
31	Ghazipur	1	2	0.88	215	189.20	190.08
32	Gonda	1	2	0.88	4	3.52	4.40
33	Gorakhpur	1	2	0.88	43	37.84	38.72
34	Hamirpur	1	2	0.88	49	43.12	44.00
35	Hapur	0	0	0	13	11.44	11.44
36	Hardoi	1	2	0.88	43	37.84	38.72
37	Hathras	1	2	0.88	33	29.04	29.92
38	Jalaun	1	2	0.88	78	68.64	69.52
39	Jaunpur	1	2	0.88	115	101.20	102.08
40	Jhansi	1	2	0.88	96	84.48	85.36
41	Kannuj	1	2	0.88	33	29.04	29.92
42	Kanpur Dehat	1	2	0.88	5	4.40	5.28
43	Kanpur Nagar	2	4	1.76	66	58.08	59.84
44	Kasganj	1	2	0.88	11	9.68	10.56
45	Kaushambi	1	2	0.88	27	23.76	24.64
46	Kheri	1	2	0.88	106	93.28	94.16
47	Kushinagar	1	2	0.88	50	44.00	44.88

S/N	District	No. of district level facilities (DWH/DCH)	No. Of new posts of ANMs approved @ 2/facility	Budget @ Rs 11000.00pm for 4 months	contractual ANMs working since 1/04/14	Budget @ Rs 11000.00pm for 8 months	Total Budget in Rs lacs
48	Lalitpur	1	2	0.88	27	23.76	24.64
49	Lucknow	6	12	5.28	37	32.56	37.84
50	Maharajganj	1	2	0.88	120	105.60	106.48
51	Mahoba	1	2	0.88	64	56.32	57.20
52	Mainpuri	1	2	0.88	39	34.32	35.20
53	Mathura	2	4	1.76	65	57.20	58.96
54	Mau	1	2	0.88	65	57.20	58.08
55	Merrut	1	2	0.88	77	67.76	68.64
56	Mirzapur	1	2	0.88	95	83.60	84.48
57	Moradabad	1	2	0.88	40	35.20	36.08
58	Muzaffer Nager	1	2	0.88	58	51.04	51.92
59	Pilibhit	1	2	0.88	57	50.16	51.04
60	Pratapgarh	1	2	0.88	101	88.88	89.76
61	Raebareli	1	2	0.88	3	2.64	3.52
62	Rampur	1	2	0.88	39	34.32	35.20
63	Saharanpur	1	2	0.88	30	26.40	27.28
64	Sambhal	0	0	0	2	1.76	1.76
65	Sant Kabir Nagar	0	0	0	89	78.32	78.32
66	Shajahanpur	1	2	0.88	53	46.64	47.52
67	Shamli	0	0	0	27	23.76	23.76
68	Sidharth Nagar	1	2	0.88	57	50.16	51.04
69	Sitapur	1	2	0.88	74	65.12	66.00
70	Sonebhadra	1	2	0.88	124	109.12	110.00
71	Srawasti	0	0	0	76	66.88	66.88
72	SRN - Bhadohi	1	2	0.88	60	52.80	53.68
73	Sultanpur	1	2	0.88	5	4.40	5.28
74	Unnao	1	2	0.88	59	51.92	52.80
75	Varanasi	2	4	1.76	75	66.00	67.76
TOTAL		83	166	73.04	4783	4209.04	4282.08

प्रारूप–2 ए

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (ANM at SC)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....

NAME: ....

DATE OF JOINING: ....

PLACE OF POSTING(S/C and Block name):

....

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:..

ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD:

POPULATION OF S/C: ....

Sl. No.	Activities	Number	Achievement in %	MarkS (2, 1 or 0)
	Expected no. of Pregnant women in a year			
2	Total number of pregnant women Registered for ANC on MCTS portal			
3	Of which Early registration (within 12 weeks) on MCTS portal			
4	Out of total registered, no. of PWs received 3 ANC checkups as on MCTS portal			
5	Number of High risk PWs (complicated Pregnancies) detected on MCTS portal			
6	Number of PWs examined for Hb% on MCTS portal			
7	Number of PWs detected severely anemic (Hb < 7 gm%) as on MCTS portal			
8	No. of deliveries conducted at sub centre as on MCTS portal			
9	No. of VHNDs sessions conducted Vs. planned			
TOTAL				

Note:- The total marks obtained <7 (<40%) will be considered as poor performance, 8 – 11 (40%-60%) will be considered as satisfactory performance, and >11 (>60%) will be considered as good performance.

Assessment	Points	Marks
Poor	<40%	0
Satisfactory	40-60%	1
Good	>60%	2

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा
इकाई

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद................................. एवं (नाम)..निवासी.. .... जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है, के मध्य अनुबन्ध।

यह अनुबन्ध ''प्रथम पक्ष'' के रूप में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद...............................**, एवं ''द्वितीय पक्ष'' के रूप में (नाम)...निवासी... ....पता.. जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है,, के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है, जहाँ **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद...** (नाम)...निवासी.. ....पता.. को .... के पद पर नियमित नहीं वरन् संविदा पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान करते हैं और (नाम)...निवासी.. **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद................................**,द्वारा निर्दिष्ट किए गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन सहमति प्रदान करते/करती हैं–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया परियोजना के उद्देश्य के अधीन संविदा पर की जा रही है।
2. यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा नियत अवधि तक के लिए वित्त पोषित है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति दिनांक......................................से ....की अवधि तक के लिए की गयी है।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा ।
5. यह कि द्वितीय पक्ष भली–भांति जानता/जानती है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है। यह अनुबन्ध प्रारूप–3 में वर्णित अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त समझा जायगा और इसके लिए राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना, भुगतान अथवा सेवा छंटनी प्रतिपूर्ति धनराशि आदि देय नहीं होगी।
6. यह कि निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष की सेवाएं अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किसी भी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं–
   - 6.1. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाना।
   - 6.2. भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को वित्त पोषण बन्द होना।
   - 6.3. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन।
   - 6.4. द्वितीय पक्ष का समय की पाबन्दी न रखना, कार्य कुशलता की कमी, अनुशासनहीनता/ किसी भ्रष्ट आचरण/अपराध में लिप्त पाया जाना।
7. यह कि द्वितीय पक्ष यह भली–भांति जानता है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है अतः उस पद पर स्थायीकरण का कोई विधिक अधिकार नहीं होगा। भविष्य में यदि उसके द्वारा धारित पद की रिक्तियां विज्ञापित होती हैं तो वह उस पद पर राजकीय सेवा में नियमित नियुक्ति का किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं

करेगा/करेगी। यदि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के पूर्व पद छोड़ना चाहेगा तो वह एक माह की नोटिस अथवा मानदेय देकर पद छोड़ सकता/सकती है। अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व किसी भी स्थिति में यदि सेवाएं समाप्त होती हैं तो अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए उसे कोई मानदेय/प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही परियोजना सम्बन्धी गोपनीय सूचनाओं अथवा कार्यक्रमों के विषय में किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना अथवा जानकारी नहीं देगा/देगी।
9. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति उसके द्वारा दिए गए अभिलेखों जैसे– शैक्षिक योग्यता आदि व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी है जो उसने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं। यदि उसके द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी और वह किसी सूचना, मानदेय अथवा नोटिस का हकदार नहीं होगा/होगी।
10. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियमों/दिशा–निर्देशों अथवा कार्यालय आदेशों के अधीन कार्य करेगा/करेगी जो कि उसकी नियुक्ति एवं अनुबन्ध सम्बन्धी नियम व शर्तों का भाग होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष की राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन सेवाओं की निरन्तरता उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी।
12. यह कि द्वितीय पक्ष की दैनिक कार्यावधि सामान्यतः प्रत्येक माह के सभी कार्यदिवसों के लिए होगी। यह कार्यावधि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकेगी।
13. यह कि द्वितीय पक्ष साप्ताहिक अवकाशों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित जन अवकाशों का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। उसे एक वर्ष की अनुबन्ध अवधि में 14 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगे। उसे अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। उसे उपर्युक्त अवकाश अनुबन्ध अवधि के अनुपात में अनुमन्य किए जाएंगे।
14. महिला संविदा कर्मियों को मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या–307/एमडी कैम्प/डैप–एच.आर. /2014–15/2294–2 दिनांक 19.08.2014 के अनुसार मातृत्व अवकाश भी देय होगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद............... ....,** के निर्देशों के अनुरूप संतोषजनक कार्य करेगा/करेगी।
16. यह कि द्वितीय पक्ष (नाम)..निवासी.. ....को मानदेय के रूप में रू0.........................प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायगा तथा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा।
17. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति के विरूद्ध किसी प्रकार का अभियोजन योजित नहीं करेगा/करेगी।
18. यह कि द्वितीय पक्ष वर्तमान पद पर नियुक्ति समाप्त होने के पश्चात भी राज्य स्वास्थ्य समिति को विधिक एवं ऑडिट सम्बन्धी मामलों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करता रहेगा/रहेगी।
19. यह कि सेवा अवधि के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं अग्रिमों को वापस करना द्वितीय पक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
20. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव में प्रतिभाग करने का अधिकारी नहीं होगा/होगी।
21. यह कि द्वितीय पक्ष की राज्य/जनपद द्वारा आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण तैनाती (Rational Deployment) के अर्न्तगत जनपद के अन्दर कही भी तैनाती की जा सकती है। संविदा कर्मी

अनुबन्ध के पश्चात किसी अन्य जनपद में नियुक्ति के लिये तभी अर्ह हो सकेगा जब वह वर्तमान जनपद में धारित पद से त्यागपत्र दे दे।

उपर्युक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य होने की स्थिति में कृपया संलग्न कार्यालय प्रति पर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कर दें एवं हस्ताक्षरित प्रति को कार्यालय के उपयोगार्थ जमा कर दें।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षर....................................

द्वितीय पक्ष
अनुबन्धित कार्मिक
नाम...
पता...
....
मो0नं0.......................................

हस्ताक्षर.......................................

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद...

दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1..
नाम...
पता...
....
मो0नं0.......................................

2...
नाम...
पता...
....
मो0नं0.......................................

सेवा में,
वित्त प्रकोष्ठ
राज्य स्वास्थ्य समिति.

शपथ – पत्र

मैं शपथकर्ता श्री / कु0 / श्रीमती.. उम्र.........................

पुत्र / पुत्री श्री.. निवासी..

....शपथपूर्वक यह बयान करता / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध आज तक किसी भी पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य पंजीकृत नहीं हुआ है तथा किसी न्यायालय में भी कोई आपराधिक कृत्य / वाद / प्रकरण पंजीकृत / प्रचलित नहीं है और ना ही विचाराधीन है।

दिनांक.........................

शपथकर्ता

....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता / करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण पूर्णतया सत्य है। इसमें कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है।

दिनांक.........................

शपथकर्ता

....